

न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0सं0 115/19 ता0रजु. 26.11.19 किस्म मुकदमा 91 एलआर एवअ निर्णय दिनांक 03.03.2020

सरकार


बनाम

ओमप्रकाश, लखन पुत्र करनसिंह

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपूरा मलूका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है। कि ग्राम कपूर मलूका के खसरा नम्बर 127 रकवा 3.99 हैक्ट. किस्म भूमि चारागाह पर सम्बत 2076 में श्री ओमप्रकाश, लखन पुत्र करनसिंह गुर्जर निवासी कपूरा मलूका तह0 बयाना ने 0.10 हैक्ट. पर अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाव एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुंचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी के अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्ध न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 127 रकवा 0.10 हैक्ट वाके ग्राम कपूरा मलूका से बेदखल किया जाता है। लगान 0.40 रु का 50 गुणा पैनल्टी राशि 20 रुपये सं दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खडी फसल के कब्जेराज लेकर फर्द नीलामी/ अवैध कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफतर हो। निर्णय दिनांक 03.03.2020 के लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


नायब तहसीलदार
बयाना

इस पत्रावली को पान सामग्री
का. जे. सं. 04 के पेज नं. 28
दिनांक 4/3/20 को वष 2019 में
पैनल्टी रु. 20/- क्रमव नीलामी
को जा चुका है।
इहकीय रजिस्टर मेलाका
नरमाल बयाना